न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 101/2021 दायर दिनाँक 21.06.2021

वादी

1. बनवारीलाल पुत्र माधुराम,
2. भुराराम पुत्र हरजी,
3. दानाराम पुत्र रामूराम, समस्त जाति अहीर, निवासीयान अहीरो को बास, सुद्रासन, तहसील डीडवाना
4. रघुनाथप्रसाद पुत्र गिरधारी, जाति मेघवाल, निवासी अहीरो का बास, सुद्रासन, तहसील डीडवाना

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. हणमानराम पुत्र माधुराम,
2. बालुराम पुत्र धनाराम,
3. बजरंगलाल पुत्र धनाराम,
4. मोटाराम पुत्र धनाराम,
5. दाखा देवी पत्नि धनाराम,
6. गोंरी शंकर पुत्र हरजी,
7. नरेश पुत्र शिवनारायण,
8. महेन्द्र पुत्र शिवनारायण, प्रतिवादी संख्या 07 व 08 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता मूली देवी जोजे शिवनारायण
9. मूली देवी पत्नि शिवनारायण,
10. गुलाबचन्द पुत्र देवाराम,
11. गोपाल पुत्र देवाराम,
12. सुन्दरी बेवा देवाराम,
13. रामनारायण पुत्र जोधाराम,
14. सीताराम पुत्र जोधाराम,
15. रामनिवास पुत्र जोधाराम,
16. सांवरमल पुत्र जोधाराम,
17. भंवरी पुत्री जोधाराम,
18. गीता पुत्री जोधाराम,
19. कोशल्या पुत्री जोधाराम,
20. जीवणी पत्नि जोधाराम, समस्त जाति अहीर, निवासीयान अहीरो का बास, सुद्रासन, तहसील डीडवाना
21. रामेश्वरलाल पुत्र गिरधारीलाल,
22. बालुराम पुत्र गिरधारीलाल,
23. भुराराम पुत्र गिरधारीलाल,
24. मुकेश पुत्र गुटाराम,
25. श्यामसुन्दर पुत्र गुटाराम,
26. सुख देवी पुत्री गुटाराम,
27. संतोष पुत्री गुटाराम,
28. श्योकुरी पत्नि गुटाराम,
29. मुलाराम पुत्र पुसाराम,
30. बंशीलाल पुत्र पुसाराम,
31. टोडाराम पुत्र पुसाराम,
32. मेहनलाल पुत्र गीगाराम, समस्त जाति मेघवाल, निवासीयान अहीरो का बास, सुद्रासन, तहसील डीडवाना
33. मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामिण बैंक नुंवा
34. मैनेजर [illegible] बैंक सुद्रासन
35. [illegible] डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:59:01 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

उपस्थितः—

1. रणजीत बलारा एडवोकेट वादीगण
2. रामेश्वर भाकर एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 3

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **08.10.2021**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण का संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 172 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा संख्या 173 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 174 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा संख्या 175 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 176 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 177 रकबा 4.7400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 178 रकबा 0.06 हैक्टेयर, गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 176 रकबा 1.10 हैक्टेयर, खसरा संख्या 180 रकबा 0.02 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता, खसरा संख्या 181 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 182 रकबा 0. 06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 183 रकबा 1.57 हैक्टेयर, खसरा संख्या 184 रकबा 0.03 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता, खसरा संख्या 18 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 186 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा संख्या 187 रकबा 0.05 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता, खसरा संख्या 188 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा संख्या 188/389 रकबा 0.05 हैकटेयर, ख ा सरा संख्या 189 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 190 रकबा 5.70 हैक्टेयर, खसरा संख्या 191 रकबा 2. 56 हैक्टेयर कुल 16.69 हैक्टेयर वाके सरहद अहीरो का बास, पटवार हल्का सुद्रासन, भू– अभिलेख निरक्षिक क्षैत्र नुंवा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर स्थित है।

उक्त खसरान के खातेदारो ने उक्त खेतो का मौखिक बंटवारा आज से करीबअ 20 वर्ष पूर्व ही कर लिया था, जिसके अनुसार खेत खसरा संख्या 190 रकबा 5.70 हैक्टेयर, खसरा संख्या 185 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 186 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा संख्या 188 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा संख्या 189 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 188/389 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल 6.21 हैक्टेयर भूमि. वाके अहिरो का बास, स्थित है। कुल 6.21 हैक्टेयर भूमि में से उतरी 1/2 हिंस्सा अर्थात् खसरा संख्या 190 रकबा 5.70 हैक्टेयर मे से उतरी 2.66 हैक्टेयर, खसरा संख्या 185 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 188 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा संख्या 189 रकबा 0. 04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 188/389 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल 3.10 हैक्टेयर भूमि वादी नम्बर 01 बनवारील लाल व प्रतिवादी नम्बर 01 हनुमानाराम के बंट व कब्जा काश्त में आयी तथा उक्त कुल 6.21 हैक्टेयर का दक्षिणी 1/2 हिंस्सा अर्थात खसरा संख्या 190 रकबा 5.70 हैक्टेयर में से दक्षिणी 3.04 हैक्टेयर व खसरा संख्या 186 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल 3.11 हैक्टेयर, भूमि प्रतिवादी बालुराम, बजरंगलाल, मोटाराम व दाखा देवी (प्रतिवादी नम्बर 02 ता 05) के बंट व कब्जा काश्त में आयी। तथा इसी प्रकार तब से लेकर आज तक पक्षकारान का कब्जा काश्त अबाध रूप से चला आ रहा है। तथा पक्षकारान ने दो हिंस्सो के बीच पुरानी सिंव कायम कर रखी है। तथा अपने अपने बंट में आये हिंस्सो पर मकान बनाकर अलग अलग निवास करते है, तथा काश्त करते ह। वादी बनवारीलाल व प्रतिवादी नम्बर 01 हनुमानाराम के बंट में आये हिंस्सें के खेतो में से प्रतिवादी नम्बर 02 ता 04 का नाम हटाया जाना न्यायोचित है। तथा प्रतिवादी नम्बर 02 ता 05 के बंट व कब्जा काश्त में आये हिंस्से में भी सभी पक्षकारान के नाम खातेदारी में आ जाने से वादी नम्बर 01 ता 04 व प्रतिवादी नम्बर 06 ता 32 के नाम हटाये जाने जरूरी है क्योंकि इनके अलग अलग खेत बंट में आये हुये है। जिनका [illegible] नजरी नक्शा में है। खसरा संख्या 184 व 187 कटाणी रास्ते है [illegible] थावत [illegible]।

इसी प्रकार खे खसरा संख्या 191 रकबा 2.56 [illegible] वाके अहीरो का बास के खातेदार वादी नम्बर 02 तथा 04 तथा प्रति[illegible] नम्बर 21 ता 32 ने भी उक्त खेत का बराबर बराबर चार हिस्सो में मौखिक बंटवारा कर लिया, जिसके अनुसार खेत खसरा संख्या 191 रकबा 2.56 [illegible]टेयर में से उतरी पश्चिमी 1/4 अर्थात 0.64 हैक्टेयर वादी नम्बर 02 भुराराम व वादी नम्बर 04 रघुनाथ प्रसाद व प्रतिवादी बालुराम, रामेश्वरलाल, मुकेश, श्याम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:39:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

सुन्दर, सुख देवी, संतोष व श्योकुरी के बंट व कब्जा काश्त में आया तथा उक्त खेत में से पूर्वी 1/4 अर्थात 0.64 हैक्टेयर प्रतिवादी मोहनलाल के बंट व कब्जा काश्त में आया तथा उक्त खेत में से 1/4 हिंस्सा दक्षिणी पश्चिमी अर्थात 0.64 हैक्टेयर वादी नम्बर 04 रघुनाथप्रसाद व प्रतिवादी नम्बर 21 रामेश्वरलाल के बंट व कब्जा काश्त में आया तथा उक्त खेत में से शेष दक्षिणी पूर्वी 1/4 हिंस्सा अर्थात 0.64 हैक्टेयर प्रतिवादी मूलाराम, बंशीलाल व टोडाराम के बंट व कब्जा काश्त में आया तथा इसी प्रकार पक्षकारान अपने अपने बंट में आये हिंस्सो पर सिंवे डालकर मौके पर काबिज है तथा अबाध रूप से काश्त करते आ रहे है। उक्त खसरा संख्या में से भी अन्य खातेदारान के नाम हटाये जाने न्यायोचित है। जिवणी पत्नि गिगाराम, तिजु देवी व गुटाराम का स्वर्गवास हो चुका है, जिनके वारिसान वाद में पक्षकार है।

इसी प्रकार खेत खसरा संख्या 177 रकबा 4.74 हैक्टैयर, खसरा संख्या 172 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा संख्या 173 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 174 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा संख्या 175 रकबा 0.03 हैक्टेयर व खसरा संख्या 176 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल 5.00 हैक्टेयर वादी नम्बर 02 भुराराम व प्रतिवादी गोरीशंकर, नरेश, महेन्द्र, मूली देवी, गुलाबचन्द, गोपाल, सुन्दरी, रामनारायण, सीताराम, रामनिवास, सांवरमल, भंवरी, गिता व जीवणी (प्रतिवादी नम्बर 06 ता 20) के बंट व कब्जा काश्त में आयी तथा इसी प्रकार पक्षकारान अपने बंट में आये खेतो पर काश्त करते आ रहे है। तथा अलग अलग ढ़ाणियां बनाकर सपरिवार निवास कर रहे है। तथा सियालु व उन्हालु दोनो फसले करते आये है। तथा खेतो को खाद्व वगैरह डालकर उपजाउ बना लिया है। तथा हर वर्ष बाड़ करते आये है तथा पुरानी सिंवे कायम है, लेकिन इन खेतो में इनके अलावा अन्य पक्षकारान का नाम भी सामलाती में दर्ज हो रखा है। जिनको अब हटवाना चाहते है, क्योंकि उनके दूसरे खेत बंट में आ गये है, तथा पक्षकारान मिलकर मौखिक बंटवारा अनुसार काबिज है।

इसी प्रकार खेत खसरा संख्या 179 रकबा 1.10 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 183 रकबा 1.57 हैक्टेयर, खसरा संख्या 181 रकबा 0.03 हैक्टेयर खसरा संख्या 182 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल 2.76 हैक्टेयर भूमि वादी नम्बर 03 दानाराम के बंट व कब्जा काश्त में आयी, जिस पर तब से लेकर आज तक दानाराम अबाध रूप से काबिज है, तथा खेत में ढ़ाणी बनाकर रहता है, इसके खेतो में खसरा संख्या 180 व खसरा संख्या 178 कटाणी रास्ते दर्ज है। जो यथावत रहेगें। दानाराम के बंट में आये खेतो में भी अन्य पक्षकारान वादी नम्बर 01, 02, 04 तथा प्रतिवादी नम्बर 01 ता 32 के शामलाती में नाम आये हुये है। जिन्हे हटाया जाना जरूरी है। वादी दानाराम ने अपने बंट में आये खेत में मकान बना लिये है, तथा कुऑं बनाकर दोनो फसले करता है। पक्षकारान का एक रास्ता आपस में सहमति से खसरा संख्या 190 में से होता हुआ, खसरा संख्या 191 व आगे गणेशपुरा वाले रास्ते तक बहता आया है। इस बंटवारा को वादीगण ने अपने नजरी नक्शा में दर्शाया है।

वादीगण को कानूनी रूप से बंटवारा नहीं होने के कारण सरकारी सहायता लेने में असुविधा होती है इसलिये वादीगण बंटवारा करवाना चाहते है, जिसके वादीगण कानूनी हकदार है। तथा जिन जिन पक्षकारो के हिंस्से में खेत आये है, उनके अलावा सामलाती में दर्ज हुये नाम हटाये जाने आवश्यक है, तथा उक्त खेतो की खातेदारी में खुमाणा पुत्र रूड़ाराम अहीर का नाम सहव से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया, लेकिन इस नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में न तो कभी पहले कभी था ना वर्तमान में है, इसलिये इस गल्त अंकन को भी राजस्व रेकर्ड से हटाया जाना आवश्यक है।

वादीगण का वाद दर्ज [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या [illegible] की ओर से ईकबाली जबाब पेश हुआ। वादीगण संख्या 01 ता [illegible] संख्या 01, 02, 04, 06 ता 14, 16, 20, 21, 22, 25 ता 30, 32 [illegible] पेश किया जो तस्दीक किया गया, तथा प्रतिवादी संख्या [illegible] 19, 23, 24, 31, 33, 34, 35 वाबजुद तामिल में अनुपस्थित होने से [illegible] खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:59:01 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गयी, वाद बंटवारा व रेकर्ड दुरूस्ती से संबधित है, वकिल वादी व प्रतिवादी पक्ष का राजीनामा व ईकबालिया जबाब पत्रावली पर

सहायक कलेक्टर,
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

उपलब्ध है, पक्षकारान वादग्रस्त भूमि में खातेदार होने से विधिवत् बंटवारा करवाना चाहते है जिसके की वे कानूनन हकदार है। वकिल वादीगण दावा को डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहे है।

अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाकर खेत खसरा संख्या 190 रकबा 5.70 हैक्टेयर में से उतरी 2.66 हैक्टेयर, खसरा संख्या 185 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 188 रकबा 0.34 हेक्टेयर, खसरा संख्या 189 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 188/389 रकबा 0.05 हैक्टेयर, कुल 3.10 हैक्टेयर भूमि वादी नम्बर 01 बनवारीलाल व प्रतिवादी नम्बर 01 हनुमानराम के बंट व कब्जा काश्त में आने से, खसरा संख्या 190 रकबा 5.70 हैक्टेयर में से दक्षिणी 3.04 हैक्टेयर व खसरा संख्या 186 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल 3.11 हैक्टेयर जमीन प्रतिवादी बालुराम, बजरंगलाल, मोटाराम व दाखा देवी के बंट व कब्जा काश्त में होने से, खसरा संख्या 191 रकबा 2.5600 हेक्टेयर में से उतरी पश्चिमी 0.64 हैक्टेयर वादी नम्बर 02 भुराराम, वादी नम्बर 04 रघुनाथप्रसाद, प्रतिवादी बालुराम, रामेश्वरलाल, मुकेश, श्यमासुन्दर, सुख देवी, सन्तोष व श्योकुरी के बंट में आने से तथा खेत खसरा संख्या 191 रकबा 2.5600 हैक्टेयर में से दक्षिणी पश्चिमी 0.14 हैक्टेयर वादी नम्बर 04 रधुनाथप्रसाद व प्रतिवादी नम्बर 21 रामेश्वरलाल के बंट में, खसरा संख्या 191 रकबा 2.56 हैक्टेयर में से उतरी पूर्वी 0.64 हैक्टेयर प्रतिवादी मोहनलाल के बंट में तथा खसरा संख्या 191 रकबा 2.5600 हैक्टेयर में से शेष दक्षिणी पूर्वी हिंस्सा 0.64 हैक्टेयर प्रतिवादी मुलाराम, बंशीलाल व टोडाराम के बंट व कब्जा काश्त में होने से तथा खेत खसरा संख्या 177 रकबा 4.74 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 172 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा संख्या 173 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 174 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा संख्या 175 रकबा 0.03 हैक्टेयर व खसरा संख्या 176 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल 5 हैक्टेयर भुमि वादी नम्बर 02 भुराराम व प्रतिवादी गोरीशंकर, नरेश, महेन्द्र, मूली देवी, गुलाबचन्द, गोपाल, सुन्दरी, रामनारायण, सिताराम, रामनिवास, सांवरमल, भंवरी, गीता व जीवणी के बंट व कब्जा काश्त में होने से तथा इसी प्रकार खेत खसरा संख्या 179 रकबा 1.10 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 183 रकबा 1.57 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 181 रकबा 0.03 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 182 रकबा 0.06 हैक्टेयर सम्पुर्ण, कुल 2.76 हैक्टेयर भूमि वादी नम्बर 03 दानाराम के बंट व कब्जा काश्त में होने से इन्हे स्वतंत्रं खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खातेदारी में दर्ज अन्य खातेदारान के नाम हटाये जाते है, वाद के साथ पेश नजरी नक्शा व राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा, तथा गलत अंकन खुमाणा पुत्र रूड़ाराम अहीर का नाम हटाया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें, इस आश्य की डिक्री जारी हो, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी की जावें।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनाँक 08.10..2021 को ... इजलास में सुनाया गया।

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:59:01 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 101/2021 दायर दिनाँक 21.06.2021

वादीगण

1. बनवारीलाल पुत्र माधुराम,
2. भुराराम पुत्र हरजी,
3. दानाराम पुत्र रामूराम, समस्त जाति अहीर, निवासीयान अहीरो को बास, सुद्रासन, तहसील डीडवाना
4. रघुनाथसाद पुत्र गिरधारी, जाति मेघवाल, निवासी अहीरो का बास, सुद्रासन, तहसील डीडवाना

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. हणमानराम पुत्र माधुराम,
2. बालुराम पुत्र धनाराम,
3. बजरंगलाल पुत्र धनाराम,
4. मोटाराम पुत्र धनाराम,
5. दाखा देवी पत्नि धनाराम,
6. गोंरी शंकर पुत्र हरजी,
7. नरेश पुत्र शिवनारायण,
8. महेन्द्र पुत्र शिवनारायण, प्रतिवादी संख्या 07 व 08 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता मूली देवी जोजे शिवनारायण
9. मूली देवी पत्नि शिवनारायण,
10. गुलाबचन्द पुत्र देवाराम,
11. गोपाल पुत्र देवाराम,
12. सुन्दरी बेवा देवाराम,
13. रामनारायण पुत्र जोधाराम,
14. सीताराम पुत्र जोधाराम,
15. रामनिवास पुत्र जोधाराम,
16. सांवरमल पुत्र जोधाराम,
17. भंवरी पुत्री जोधाराम,
18. गीता पुत्री जोधाराम,
19. कोशल्या पुत्री जोधाराम,
20. जीवणी पत्नि जोधाराम, समस्त जाति अहीर, निवासीयान अहीरो का बास, सुद्रासन, तहसील डीडवाना
21. रामेश्वरलाल पुत्र गिरधारीलाल,
22. बालुराम पुत्र गिरधारीलाल,
23. भुराराम पुत्र गिरधारीलाल,
24. मुकेश पुत्र गुटाराम,
25. श्यामसुन्दर पुत्र गुटाराम,
26. सुख देवी पुत्री गुटाराम,
27. संतोष पुत्री गुटाराम,
28. श्योकुरी पत्नि गुटाराम,
29. मुलाराम पुत्र पुसाराम,
30. बंशीलाल पुत्र पुसाराम,
31. टोडाराम पुत्र पुसाराम,
32. मेहनलाल पुत्र गीगाराम, समस्त जाति मेघवाल, निवासीयान अहीरो का बास, सुद्रासन, तहसील डीडवाना
33. मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामिण बैंक नुंवा
34. [illegible] सुद्रासन
35. तह[illegible]र [illegible]ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:59:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **08.10.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रणजीत बलारा एडवोकेट वादीगण व श्री रामेश्वर भाकर एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाकर खेत खसरा संख्या 190 रकबा 5.70 हैक्टेयर में से उत्तरी 2.66 हैक्टेयर, खसरा संख्या 185 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 188 रकबा 0.34 हेक्टेयर, खसरा संख्या 189 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 188/389 रकबा 0.05 हैक्टेयर, कुल 3.10 हैक्टेयर भूमि वादी नम्बर 01 बनवारीलाल व प्रतिवादी नम्बर 01 हनुमानराम के बंट व कब्जा काश्त में आने से, खसरा संख्या 190 रकबा 5.70 हैक्टेयर में से दक्षिणी 3.04 हैक्टेयर व खसरा संख्या 186 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल 3.11 हैक्टेयर जमीन प्रतिवादी बालुराम, बजरंगलाल, मोटाराम व दाखा देवी के बंट व कब्जा काश्त में होने से, खसरा संख्या 191 रकबा 2.5600 हेक्टेयर में से उत्तरी पश्चिमी 0.64 हैक्टेयर वादी नम्बर 02 भुराराम, वादी नम्बर 04 रघुनाथप्रसाद, प्रतिवादी बालुराम, रामेश्वरलाल, मुकेश, श्यमासुन्दर, सुख देवी, सन्तोष व श्योकुरी के बंट में आने से तथा खेत खसरा संख्या 191 रकबा 2.5600 हैक्टेयर में से दक्षिणी पश्चिमी 0.14 हैक्टेयर वादी नम्बर 04 रधुनाथप्रसाद व प्रतिवादी नम्बर 21 रामेश्वरलाल के बंट में, खसरा संख्या 191 रकबा 2.56 हैक्टेयर में से उत्तरी पूर्वी 0.64 हैक्टेयर प्रतिवादी मोहनलाल के बंट में तथा खसरा संख्या 191 रकबा 2.5600 हैक्टेयर में से शेष दक्षिणी पूर्वी हिंस्सा 0.64 हैक्टेयर प्रतिवादी मुलाराम, बंशीलाल व टोडाराम के बंट व कब्जा काश्त में होने से तथा खेत खसरा संख्या 177 रकबा 4.74 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 172 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा संख्या 173 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 174 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा संख्या 175 रकबा 0.03 हैक्टेयर व खसरा संख्या 176 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल 5 हैक्टेयर भुमि वादी नम्बर 02 भुराराम व प्रतिवादी गोरीशंकर, नरेश, महेन्द्र, मूली देवी, गुलाबचन्द, गोपाल, सुन्दरी, रामनारायण, सिताराम, रामनिवास, सांवरमल, भंवरी, गीता व जीवणी के बंट व कब्जा काश्त में होने से तथा इसी प्रकार खेत खसरा संख्या 179 रकबा 1.10 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 183 रकबा 1.57 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 181 रकबा 0.03 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 182 रकबा 0.06 हैक्टेयर सम्पुर्ण, कुल 2.76 हैक्टेयर भूमि वादी नम्बर 03 दानाराम के बंट व कब्जा काश्त में होने से इन्हे स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खातेदारी में दर्ज अन्य खातेदारान के नाम हटाये जाते है, वाद के साथ पेश नजरी नक्शा व राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा, तथा गलत अंकन खुमाणा पुत्र रूड़ाराम अहीर का नाम हटाया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें, इस आश्य की डिक्री जारी हो, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी की जावें।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–...................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **08.09.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:59:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:59:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner